RAJYA SABHA

Thursday, the 25th July, 1968/3rd Sravana, 1890 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*91. SHRI M. V. BHADRAM† :
PROF. SHANTILAL KOTHARI:
SHRI A. D. MANI :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one Shri Trilok Chand, a Delhi college student, was apprehended by Pakistani armed forces near the Wagah border in January, 1966 and was sentenced by a Pakistani court to two years rigourous imprisonment for alleged espionage activities.

(b) whether it is also a fact that the Government of Pakistan have refuse to release Shri Trilok Chand even though the period of his sentence expired on April 10, 1968;

(c) if so, what are the grounds on which the Government of Pakistan has refused to release Shri Trilok Chand ;

(d) whether Shri M. L. Sondhi, M.P., presented a memorandum to the Pakistan High Commissioner in India in this connection; and

(e) what efforts have been or are being made by the Government of India to get Trilok Chand released from imprisonment in Pakistan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The Government of Pakistan are insisting on the exchange of Trilok Chandra against some Pakistani national of their choice detained in India.

(d) Yes, Sir.

(e) A statement is laid on the Table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri M. V. Bhadram.

STATEMENT

Strong protests have been made to the Government of Pakistan against the continued detention of Trilok Chandra inspite of his having completed his term of imprisonment in Pakistan. The Government of Pakistan had earlier suggested exchange of Trilok Chandra against one of two Pakistani nationals *viz.* Ibrahim and Gulzar-Hussain Shah. They were informed that Ibrahim had already left for Pakistan on 1st April, 1963 and Gulzar Hussain Shah, who also left for Pakistan on release in July, 67, had re-entered India illegally and was convicted and sentenced to one year's imprisonment in January '68 and had not completed his term of imprisonment. The Government of Pakistan were also informed that since Trilok Chandra had completed his sentence, the question of his exchange with any Pakistani national undergoing imprisonment in India should not arise. However, the Pakistan Government have now suggested the names of two other Pakistani nationals under detention in India and the question of obtaining the release of Trilok Chandra against one of the two persons is under consideration. It may be added that the other person suggested by Pakistan is under trial on charges of espionage.

SHRI M. V. BHADRAM : Sir, from the statement it is seen that the Government has accepted the position of exchanging some Pakistani prisoner in our country with Trilok Chand. May I know whether it will be expedited and when it will take place?

SHRI B. R. BHAGAT : Sir, we are doing everything possible to expedite it.

PROF. SHANTILAL KOTHARI : May I know when the Government of India made its first protest about Trilok Chand and secondly, whether our High Commissioner has got the facilities to meet Trilok Chand in detention—although the detention period is over—and find out what his condition is?

SHRI B. R. BHAGAT : Sir, as soon as we received the letter from his father, our High Commissioner in Islamabad took up the matter with the Pakistan Foreign Office immediately. As for the exact date, Sir, I have to consult the file.

SHRI A. D. MANI : Sir, referring the trial of Trilok Chand, may I know from the Minister whether the Government of India asked the Government of Pakistan to permit Trilok Chand to be defended by a counsel of Government of India's choice

at Government of India's expense? When he was tried in Pakistan, he had no means of offering adequate defence. Did the Government at that time ask the Government of Pakistan for permission to engage a counsel for Trilok Chand?

SHRI B. R. BHAGAT : Sir, he has run his full term. He should have been released normally.

SHRI A. D. MANI : I know he has run his full term. The point is, at the time of his trial, he must have wanted a counsel to defend him. At that time, did the Government of India move the Government of Pakistan and ask them to permit a counsel to be engaged for Trilok Chand at Government of India's expense, for when he was captured and tried he did not have adequate defence?

SHRI B. R. BHAGAT : Sir, the matter was not known. The boy suddenly disappeared and his father came to know that he was in jail in Pakistan when he received a letter from the boy from Lahore Jail stating that he had as gone to Amritsar and while walking along the border, he was cought by Pakistani forces and lodged in Jail. Neither did he ask for help nor was it known even to his father.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मंत्री महोदय ने कहा है कि त्रिलोक चन्द के पिता से उसकी गिरफ्तारी का उनको समाचार मिला तो यह समाचार उसकी ट्रायल प्रारम्भ होने के कितने दिन पहले मिला, सवाल यह है। और अगर त्रिलोक चन्द के पिता के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की जानकारी सरकार को मिली और त्रिलोक चन्द की गिरफ्तारी के बाद ट्रायल शुरू हुआ है, उसमें समय गया है, तो यह जो जानकारी सरकार को मिली, यह जानकारी ट्रायल प्रारंभ होने के पहले कितने दिन मिली ? जब त्रिलोक चन्द का ट्रायल हुआ तो उस पर कौन सा चार्ज लगाया गया है ? क्या इसप्वायनेज का चार्ज इस पर लगाया गया है ? इस बात की जानकारी सरकार को थी या नहीं ? और अगर इसप्वाइनेज का चार्ज उस पर था तो उस चार्ज से बचाव करने के लिये उचित व्यवस्था की जानी थी क्योंकि इसप्वायनेज के चार्ज में सरकार भी इम्प्लीकेट होती है। इस कारण से कि वह इसप्वानेज सरकार की मार्फत नहीं कर रहा था, इसका स्पष्टीकरण करने के लिये, इसकी सफाई के लिये सरकार की तरफ से क्या कदम उठाये गये ?

SHRI B. R. BHAGAT : Sir, what charges were levelled against him in the trial have not been communicated to us till to-day by the Pakistan Government in spite of our repeated requests.

SHRI A. D. MANI : Did you ask for it ?

SHRI B. R. BHAGAT : At one time when some official from our mission talked to the Pakistan Foreign Office, the Director said that the boy was convicted for unauthorised entry into Pakistan without a travel document, although the official in Pakistan Foreign Office indirecly hinted that the boy was also suspected of having indulged in espionage activities. That is the only thing they have said. But the charges have never been communicated to us in spite of our repeated requests.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उसकी सजा किस चार्ज में हुई है, उसका ट्रायल प्रारम्भ होने के कितने दिन बाद आपको खबर हुई ?

MR. CHAIRMAN : You have put your question. Mr. Rajnarain.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: But, Sir, my question has not been fully answered. श्रीमन्, मेरा सवाल यह था कि उसका ट्रायल प्रारम्भ होने के पहले उसकी गिरफ्तारी की खबर हो गई या नहीं और दूसरे यह कि उसको किस जुर्म में सजा मिली है अगर इसप्वायनेज में नहीं मिली तो ?

श्री बी० आर० भगत : ट्रायल होने के समय तक हमको कोई इत्तिला नहीं मिली।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : पहले ?

श्री बी० आर० भगत : पहले भी नहीं मिली। जैसाकि मैंने बताया किसी को कोई पता नहीं था, उन्होंने अपने पिता जी को जेल से चिट्ठी लिखी कि हम जेल में हैं तब पता चला। वह तो खोज रहे थे कि कहां लड़का है, कहां गायब है, कहां वह लापता है। उन्होंने कुछ बताया नहीं। जैसा कि अभी आपको बताया कि फारेन आफिस से जो पूछा कि इसके ऊपर चार्जेज क्या हैं, चार्जशीट क्या है, वह नहीं बताया।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, सवाल दीगर जवाब दीगर नहीं होना चाहिये ।

श्री बी० आर० भगत : आपकी समझ से ।

श्री राजनारायण : हमारा प्रश्न यह है कि सरकार ने अपनी ओर से इस बात को जानने के लिये क्या कोशिश की कि त्रिलोक चन्द पर क्या क्या चार्जेज़ हैं और अगर दो साल की सजा हो गई किसी जासूसी या किसी अपराध में तो क्या उसकी अपील भी अदालत में हो सकता है या नहीं ? जब मुकदमा चल रहा है और मुकदमें की तह में उसे सजा हुई है जिसकी जानकारी सरकार को है तो सरकार ने उस मुकदमे को अंतिम न्यायालय तक पहुंचाने के लिये अब तक क्या कदम उठाया और नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया ? और सरकार ने अब तक अपनी तरफ से क्या कोशिश की यह जानने के लिये कि उनके ऊपर क्या क्या अपराध लगे हुये हैं और उन अपराधों को लगाये जाने के क्या क्या आधार हैं । सवाल यह है और अनावश्यक ढंग से बताया जाता है कि उनके संरक्षक ने यह लिखा, वहां से नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया । तो क्यों नहीं आया ? आखिर इस सरकार के जो नागरिक विदेशों में जाते हैं तो उन नागरिकों की सुरक्षा की गारेंटी इस सरकार के ऊपर होती है या नहीं ? सीधा सा प्रश्न है ।

श्री बी० आर० भगत : यह तो बहुत कुछ इस बात पर मुनहसिर करता है कि उस सरकार से या देश से हमारा सम्बन्ध क्या है और उनका रुख क्या है और इन बातों में जो सही तरीका है . . .

श्री राजनारायण : श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर ।

श्री बी० आर० भगत : हमारा जवाब तो सुनें ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, हमारी रिकवेस्ट आपसे है, इसलिये कि सवाल दीगर जवाब दीगर । हमारी रिकवेस्ट यह है कि हम प्वाइंटेडली सवाल पूछ रहे हैं, हमारा क्वेश्चन प्वाइंटेडली है और मंत्री जी घुमा फिरा कर राउंड एबाउट वे में उत्तर देते हैं । हम जानना चाहते हैं कि इस सरकार ने पाक सरकार से क्या खतोकिताबत की और क्या इसकी जानकारी हासिल करने का प्रयत्न किया कि वह मुकदमा अपीलेबल है या नहीं, उसकी अपील हायर कोर्ट में हो सकती है या नहीं और अगर हो सकती है तो सरकार ने अपनी तरफ से क्या कदम उठाया । यह हमारा प्रश्न है और हमको पाकिस्तान और भारत का रिश्ता बताया जा रहा है ।

MR. CHAIRMAN : You have put the question.

श्री बी० आर० भगत : माननीय सदस्य को मालूम है नियम के अनुसार चेयर का काम है कि सवाल को भी देखे और जवाब को भी देखे . . .

श्री राजनारायण : चेयरमैन का ही काम नहीं है, मिनिस्टर का भी काम है । यानी श्रीमन्, यह आपके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं ।

श्री बी० आर० भगत : आक्षेप नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं माननीय सदस्य का व्यवहार अनुचित है पार्लियामेन्टरी तरीके से ।

MR. CHAIRMAN : I want the hon. Member to hear what he says. You have put the question. Let him reply.

श्री बी० आर० भगत : मैंने तो शुरू भी नहीं किया था और आधे सेन्टेन्स में मुझे टोक दिया गया ।

तो जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान सरकार का रवैया या व्यवहार भी अगर ठीक कायदे से और व्यवहार से होता तो यह दिक्कत नहीं होती । हमने उनसे दर्जनों बार प्रोटेस्ट किया, हमने उनसे बारबार कहा, मगर उन्होंने किसी बात को न बताने की कोशिश की । अब तो शायद मुकदमें की अपील करने का समय है नहीं, हो सकता है उसकी मीयाद भी खत्म हो गई हो । अब तो

मानवीय आधार के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, किसी भी सभ्य व्यवहार के अनुसार, जैसा कि किसी भी देश को करना चाहिये, पाकिस्तान को भी उन्हें रिलीज़ करना चाहिये। चूंकि वह अपनी पूरी मीयाद भुगत चुके इसलिये अपील का सवाल नहीं उठना चाहिये इसलिये हम कोशिश कर रहे हैं कि वह उनको जल्द से जल्द छोड़ दें। वह कहते हैं उनके बदले में हम किसी को दें। वह भी हम विचार कर रहे हैं. . .

श्री राजनारायण : उनके बदले में मंत्री जी खुद चले जायं।

श्री सैयद अहमद : राजनारायण को भेज दीजिए।

SHRI S. S. MARISWAMY : Sir, I would like to know whether any officials of the High Commissioner's office had made any attempt to meet this boy.

SHRI B. R. BHAGAT : Yes.

SHRI S. S. MARISWAMY : Would the hon. Minister give us the details of how he met him and what was the conversation that took place? Could he give us some details ?

SHRI B. R. BHAGAT : When the two officers of the Indian Mission in Pakistan visited the Bahawalpur jail, they were told by the boy that he was sentenced to two years' imprisonment and he was due for release on the 10th of April, 1968.

SHRI S. S. MARISWAMY : Subsequent to this did the official contact the highest authorities in Pakistan for the immediate release of the boy ?

SHRI B. R. BHAGAT : Yes, not once, not twice but in the last two years we have been making repeated efforts for the release of the boy.

श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के पाकिस्तान स्थित उच्चायुक्त का यह कर्तव्य नहीं है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी गर्दिश में वहां फंसे तो उसकी खबर लें और इस मामले में भारत के उच्चायुक्त को कब खबर हुई और खबर नहीं हुई तो क्यों नहीं खबर हुई और माननीय मंत्री का यह कहना कि चूंकि उसकी मीयाद खत्म हो गई है इसलिये हम अपील नहीं कर सकते, इसके बारे में मेरा कहना है कि कभी कभी मीयाद खत्म होने पर भी अपील की जाती है और इसमें ऊंचे इजलासों का फैसला होता है कि इस आदमी ने कोई जुर्म किया या नहीं किया। तो मैं जानना चाहता हूं कौन कौन सी कार्यवाही भारत के उच्चायुक्त ने की या भारत सरकार ने की और इस लड़के के बारे में उनको कब खबर हुई ?

श्री बी० आर० भगत : जैसा कि जवाब में मैंने पहले बताया वह लड़का कहां था, इसका पता उस लड़के के पिता को भी नहीं था। पाकिस्तान के अधिकारियों ने उस पर चार्ज लगाया और चुपके चुपके उसको जेल में बंद कर दिया। आम तौर से इन बातों की खबर डिप्लोमेटिक स्तर पर दी जाती है। अगर वह न दें तो कोई और ज़रिया तो है नहीं कि हम जान पाएं। मगर जैसे ही बाद में हमको खबर उसके पिता के द्वारा लगी तो हमने सब कोशिश की उसको वापस लाने की और यह बात सही है कि संभवतः कानूनी स्थिति है कि हम हाईकोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते, मगर मालूम नहीं ऐसा वहां सम्भव है कि नहीं। लेकिन कानून के हिसाब से अगर इस मामले को लेंगे तो उसमें लम्बी देर लगेगी। यह भी मीयाद भुगत चुके हैं। मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द उनको वापस लाया जाय। यही हमारी मांग है, यही उचित भी है और इसी का प्रयास है।

*92 [*Transferred to the 6th August*, 1968]

NUCLEAR NON-PROLIFERATION TREATY

*93. PROF. SHANTILAL KOTHARI†:
SHRI R. P. KHAITAN :
SHRI M. N. KAUL :
SHRI JAGAT NARAIN :
SARDAR RAM SINGH :
DR. (MRS.) MANGLADEVI TALWAR :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India have told the United Nations

†The question was actually asked on the floor of the House by Prof. Shantilal Kothari.